जल शक्ति मंत्रालय

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 16वीं बैठक आयोजित

मंत्री ने गंगा के सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और आजीविका संबंधी महत्व पर ज़ोर दिया; आर्द्रभूमि संरक्षण, प्रदूषण निवारण और नदी संरक्षण पर त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया

बड़ी नदियों में रेत खनन के भू-आकृतिक और पारिस्थितिक प्रभावों पर रिपोर्ट जारी; नदी संरक्षण के लिए नियामक ढांचे को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित

Posted On: 29 SEP 2025 8:00PM by PIB Delhi

गंगा नदी के पुनरुद्धार को नई गति प्रदान करते हुए, आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त कार्यबल (ईटीएफ) की 16वीं बैठक आयोजित की गई। मंत्री महोदय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गंगा का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय प्रयास नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और लाखों लोगों की जीवन रेखा से भी जुड़ा हुआ है।

बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रमुख हितधारक शामिल हुए, जिनमें जल संसाधन विभाग के सचिव श्री वी.एल. कांता राव, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक श्री राजीव कुमार मित्तल, जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री गौरव

मसलदान, श्री अनुराग श्रीवास्तव (प्रमुख सचिव नमामि गंगे उत्तर प्रदेश), श्री नलिन श्रीवास्तव (उप महानिदेशक, एनएमसीजी), श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव (कार्यकारी निदेशक, तकनीकी), श्री एस.पी. वशिष्ठ (कार्यकारी निदेशक, प्रशासन), श्री भास्कर दासगुप्ता (कार्यकारी निदेशक, वित्त), सुश्री नंदिनी घोष (परियोजना निदेशक, पश्चिम बंगाल एसपीएमजी), श्री अनिमेष पाराशर (बीयूआईडीसीओ के अध्यक्ष), श्री सूरज परियोजना निदेशक (झारखंड), श्री प्रभाष कुमार (परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश एसएमसीजी) के साथ-साथ एनएमसीजी और भाग लेने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुए, मंत्री ने सामूहिक प्रयासों की सराहना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले वर्ष के दौरान सशक्त कार्यबल द्वारा उठाए गए लगभग 80% मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये कार्य गंगा कायाकल्प के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए एक समग्र ढांचा तैयार कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश और बिहार में आर्द्रभूमि की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां क्रमशः 282 और 387 आर्द्रभूमि का आकलन किया गया, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 40 और बिहार में 19 को उच्च प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया। मंत्री ने दोनों राज्यों से अधिसूचनाओं में तेजी लाने और इन 59 आर्द्रभूमि को कानूनी संरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि आर्द्रभूमि बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता संरक्षण की रीढ़ हैं

उत्तर प्रदेश में प्रदूषण निवारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि बड़े शहरों ने 4,651 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता विकसित कर ली है और 1,708 एमएलडी अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, लेकिन छोटे शहरी निकायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मंत्री ने राज्य सरकार को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत नगर स्वच्छता कार्य योजनाओं को प्राथमिकता देने और परियोजना अनुमोदन के लिए जल्द से जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का निर्देश दिया।

माननीय मंत्री ने छोटी नदियों के पुनरुद्धार पर जोर दिया और "नमामि निरंजना अभियान" की समीक्षा की। निरंजना (फल्गु) नदी, जो कभी भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी एक पवित्र नदी के रूप में पूजनीय थी, अब सूख गई है। इसके पुनरुद्धार के लिए, एनएमसीजी और स्थानीय संस्थान सामुदायिक जागरूकता, वनीकरण, वर्षा जल संरक्षण और टिकाऊ खेती जैसे उपायों पर काम कर रहे हैं। मंत्री ने बिहार सरकार को इस अभियान का औपचारिक रूप से समर्थन करने का निर्देश देते हुए कहा, "निरंजना का पुनरुद्धार केवल एक नदी का पुनरुद्धार नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार है।"

बैठक में नियामक ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और बाढ़ के मैदानों के सीमांकन पर चर्चा की गई, मंत्री ने सभी गंगा बेसिन राज्यों से केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी दिशानिर्देशों को लागू करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए इस तरह का विनियमन आवश्यक है। इसके अनुरूप, मंत्री ने 2016 के प्राधिकरण अधिसूचना की धारा 6 और 42 के तहत विशिष्ट गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति देने के लिए 7 दिसंबर 2023 को एनएमसीजी के भीतर गठित समर्पित सेल के कामकाज पर भी प्रकाश डाला। सीपीसीबी, सीडब्ल्यूसी, एनएमसीजी, स्वच्छ गंगा के लिए संबंधित राज्य मिशन के अधिकारियों और एक कानूनी विशेषज्ञ से युक्त सेल, पर्याप्त परिश्रम सुनिश्चित करने और नदी के संवेदनशील विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करता है।

जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा समर्थित, यह रिपोर्ट उच्च-रिज़ॉल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा और ड्रोन सर्वेक्षणों का उपयोग करके रेत खनन से संबंधित गहन मूल्यांकन, विश्लेषण और शमन रणनीतियां प्रदान करती है। यह भारत की नदियों में रेत खनन से उत्पन्न पारिस्थितिक चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और रेत खनन को विनियमित करने हेतु एक नीतिगत ढाँचा तैयार करने में मदद करेगी।

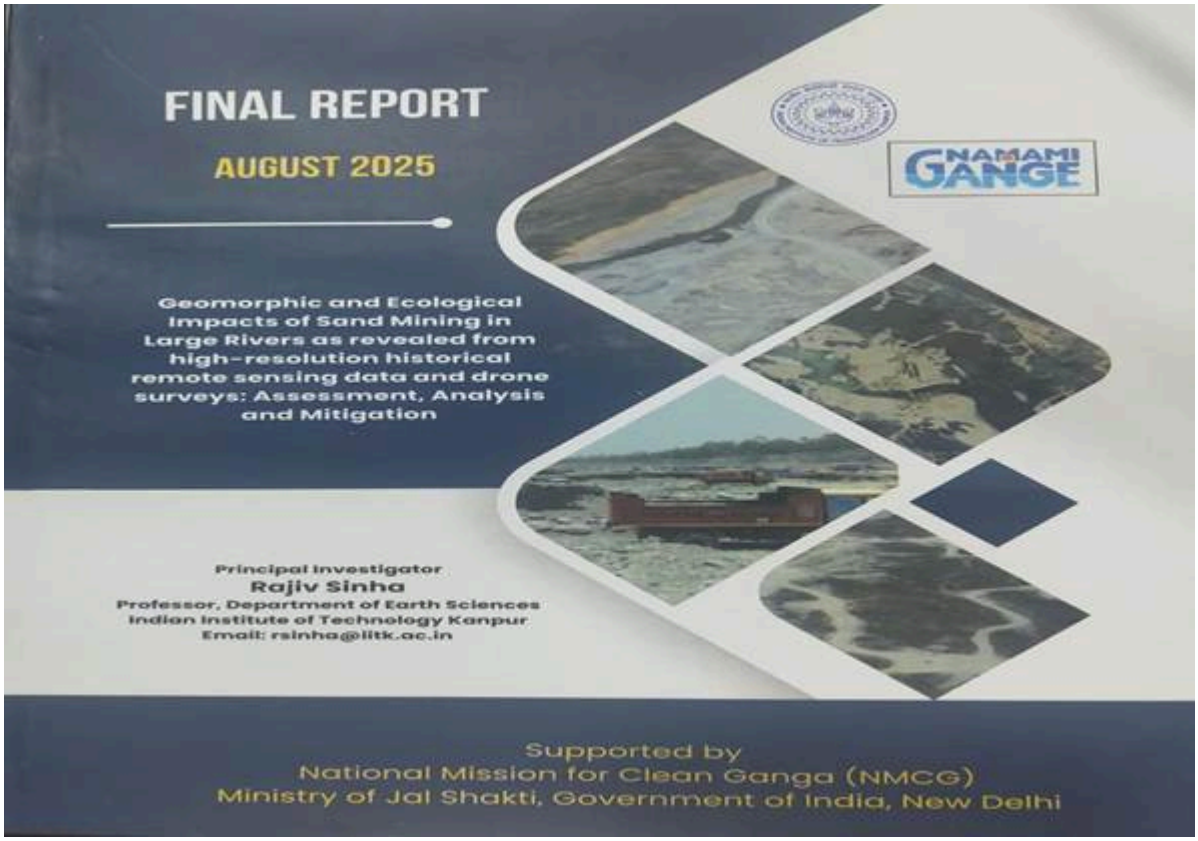

बैठक का समापन करते हुए मंत्री महोदय ने सभी राज्यों और विभागों से त्वरित और समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "गंगा केवल एक नदी नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी जीवन रेखा है। हमें समयबद्ध तरीके से इसके पुनरुद्धार के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। गंगा को 'अविरल और निर्मल' बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।"

*****

पीके/केसी/वीएस/एसएस

(Release ID: 2172890) Visitor Counter : 54
Read this release in: English , Urdu